कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बस्ती।

पत्रांक संख्या- 96/सी0एफ0 ओ0/ निरीक्षण/पेट्रोलियम पदार्थ अग्निसुरक्षा/2021 दिनांक-13-12-21

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

बस्ती

विषय:- मेसर्स भारत कार्पोरेशन लि0 द्वारा गाटा संख्या 402, ग्राम बड़हरखुर्द, तहसील हर्रैया, जनपद बस्ती में न्यू रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु आख्या के सम्बंध में।

संदर्भ:-प्रभारी अधिकारी (आयुध), कृते जिला मजिस्ट्रेट के पत्र संख्या 1622(3)/आयुध लिपिक दिनांक 26.11.2021 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय में न्यू रिटेल आउटलेट को स्थापित किये जाने वाले स्थल का अग्निसुरक्षा, पेट्रोलियम एक्ट 1934, पेट्रोलियम नियम 2002 तथा ओ. आई. एस. डी.-225 मानकों के अनुरूप स्थलीय निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गये:-

1. उपरोक्त प्रस्तावित स्थल गोरखपुर लखनऊ मार्ग (ओल्ड एन एच 28 न्यू एन एच 27)पर स्थित है।
2. प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल लगभग 1575 वर्गमीटर है।
3. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन नहीं गुजरी है।
4. प्रस्तावित स्थल के आस-पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं पाया गया।
5. परिसर के चारो ओर 1.2 मीटर ऊँची व 0.23 मीटर चौड़ी ब्रिकवाल प्रस्तावित है।
6. परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 11.50 मीटर चौड़ाई के दो गेट प्रस्तावित हैं।
7. पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं अन्य उपकरणों जहाँ अर्थिंग व्यवस्था की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स के अनुसार होनी चाहिए।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. यदि कैनोपी निर्माण किया जाये तो स्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिनकी भूतल से निम्नतम ऊँचाई 06 मीटर से कम न हो।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर से कम न हो।
3. विद्युत वायरिंग मे एम0 सी0 बी0/ई0 एल0 सी0 बी0 का प्रयोग मानको के अनुसार किया जाये।
4. टैंक के लिए अलग अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस मे जुड़ी नहीं होनी चाहिये एवं ऊँचाई 04 मीटर होनी चाहिये तथा उसके चारो ओर 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये।
5. वैन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम -2002 मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
6. टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
7. लारी से टैंक में तेल भरते समय प्रापर अर्थिंग अति आवश्यक है।
8. बिजली के तारो के साथ ई0 एल0 सी0 बी0 (अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर) व्यवस्था की जाये।
9. स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जायें।
10. प्रत्येक डिस्पेंसर के पास आई0 एस0 मार्का ए0 बी0 सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 2-2 अदद क्षमता 10 किग्रा प्रत्येक के रखे जाए। समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव कार्यशील दशा में होने चाहिए व उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
11. अन्डरग्राउण्ड टैंक के पास आई0 एस0 मार्का ए0 बी0 सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 2-2 अदद क्षमता 10 किग्रा

Rajesh 21/3/22

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो०-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)

प्रत्येक के रखे जाए, 75 किग्रा0 के 02 अदद की डी0 सी0 पी0 ट्राली एवं 50 लीटर फोम 02 अदद ट्राली तथा 50 किग्रा0 की AFFF ट्राली होनी चाहिए।

12. इलेक्ट्रिक उपकरणों के पास आई0 एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एस्टिंग्यूसर्स 02-02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा0 के रखे जाये।

13. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0 एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एस्टिंग्यूसर्स 02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा0 के रखे जाये। डीजल जनरेटर सेट के स्टैक हाइट नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।

14. भूतल पर 10000 (दस हजार) लीटर क्षमता का पानी का टैंक स्थापित किया जाये, जिससे अग्निकाण्ड की स्थिति में अग्निशमन विभाग की गाडियां पानी ले सकें।

15. लाइसेंस एरिया में जंक्सन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

16. प्रत्येक डिस्पेंसर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।

17. इमरजेंसी प्लान OISD 225 के अनुसार होना चाहिये।

18. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD 225 के अनुसार होनी चाहिए।

19. ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।

20. इमरजेंसी प्लान के बोर्ड लगे होने चाहिए।

21. इलेक्ट्रिकल रूम प्रापर वेन्टीलेशन होना चाहिए।

22. "अग्निदुर्घटना की स्थिति में डायल 112 पर कॉल करें" बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।

23. ग्राहकों व कर्मचारियों की जागरूकता के लिये निम्नांकित को बोर्ड पर लटकायें।

क्या करें	क्या न करें
1. मोबाइल फोन बंद रखें। 2. तेल भराते समय वाहन का इंजन बंद रखें। 3. सुनिश्चित करें कि डिस्पेंसर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हैं। 4. तेल रिसाव तथा आग की स्थिति में डिस्पेंसर का इमरजेंसी स्टाप बटन दबायें।	1. वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न रखें, जब तक वाहन के टैंक से नोजल अलग न हो जाये। 2. धूम्रपान न करें। 3. खुली आग का प्रयोग न करें। 4. लारी से तेल टैंक में भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

अतः उपरोक्त ढांचागत व्यवस्था व प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा ओ. आई. एस. डी.-225 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त के साथ निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है। उपरोक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओ का पालन न किये जाने पर आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

Rajesh
21/3/22

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो०-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)

13/1/22
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अग्नि शमन अधिकारी
बस्ती
जनपद-बस्ती